FORM NO. III
फर्दे अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

वाद पत्र संख्या **252 / 2022**

वाद मुकदमा — अधिकार घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

निरंजनलाल मिश्रा **बनाम** **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी**

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। सुनवाई हेतु आवाज पर अधिवक्ता वादी उपस्थित आये। अधिवक्ता वादी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता वादी एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी के द्वारा हस्तगत वाद के जरिये वर्तमान मे दर्ज राजस्व ग्राम माधोगढ तहसील खेतड़ी स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 442 रकबा 0.84 हेक्टेयर किस्म बारानी–2 जो पूर्व मे निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि दर्ज रही है, की धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत खातेदारी चाही गई है।

वादी के वाद पत्र में वर्णित तथ्यानुसार निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि के खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत राजस्व विभाग के नियमों / अधिनियमों / परिपत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। राजस्व (पुनर्वास) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (15) राजस्व / पुनर्वास / 2009 जयपुर दिनांक 06.10.2009 के अनुसार ऐसी निष्क्रान्त कृषि भूमि जिसका आवटन अभी तक नही किया गया है, के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी समस्त निष्क्रान्त कृषि भूमि जिसका आवटन अभी तक नही किया गया है को राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज करना है। तदोपरान्त इस प्रकार की निष्क्रान्त कृषि भूमि समस्त उद्देश्यो के लिए सिवायचक भूमि हो जायेगी तथा सिवायचक भूमि के संबध मे जितने भी प्रावधान विभिन्न राजस्व अधिनियमो / नियमो / परिपत्रों / आदेशों मे है वे सभी इस प्रकार की भूमि पर भी लागू हो जायेगें। भविष्य में इस प्रकार की समस्त भूमि का आवटन तदानुसार किया जाना है।

राजस्व (पुनर्वास) विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 1 (15) राजस्व / पुनर्वास / 2009 जयपुर दिनांक 06.10.2009 के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि वर्तमान मे राजकीय (सिवायचक) खाता संख्या 1 मे दर्ज रिकार्ड है। राजस्व (भूप-6) विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 9 (79) रेवन्यू–6 / 2011 / 23 दिनांक 03.10.2013 से राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवटन) नियम, 1963 के नियम 6 (4) मे संशोधन कर निष्क्रान्त भूमि पर **उपकृषकों** के रूप मे जिनका नाम दर्ज है उनका **कब्जा** मानते हुये राजस्थान भू-राजस्व

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म

1.8.24. (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 20 के तहत नियमन का प्रावधान किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सावत 2012-2015, खाता सख्या 13/1, 936 राजस्व ग्राम माधोगढ में दर्ज वादग्रस्त भूमि के खातेदार बहादुर पिता सीमा हिस्सा 1/4, बन्सी पिता लेखु हिस्सा 1/12, मुन्शी पिता कला हिस्सा 1/12, मांगु पिता शकर हिस्सा 1/6, भूरा पिता बीजा हिस्सा 1/12, कालू, दयाला पिता बखसीस हिस्सा 1/3 कौम राणा सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि मे वादी के हकपूर्वाधिकारी मदनलाल पुत्र बैजनाथ मास्टर मिश्र बबाई की हैसियत केवल उपकृषक/उपधारी की रही हैं। वादग्रस्त भूमि विभिन्न राजस्व अधिनियमों/नियमों/परिपत्रों/आदेशों के परिप्रेक्ष्य में ही राजकीय दर्ज रिकार्ड हुई है। इसलिये कब्जे के आधार पर वर्तमान राजकीय भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के प्रावधान लागू नहीं होते है। लिहाजा

—: आदेश :—

अतः वादी का हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 01.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

1/8/24

उपखण्ड अधिकारी, डेगाड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना जिला-नागौर (राज.)